



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 106 राँची, बुधवार, 17 फाल्गुन, 1947 (श०)
18 मार्च, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

29 नवम्बर, 2021

संख्या- स.क./अराज.स्था.-01/2006- 2231--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) नियमावली- 2019 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -

(i) यह नियमावली "झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2021" कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ही प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) नियमावली- 2019 के अध्याय 3 के कंडिका 8 अन्तर्गत प्रावधान को निम्नरूपेण अंतःस्थापित किया जाता है -

संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली- 2017 एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021 के प्रावधानों के आलोक में की जायेगी।

3. झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) नियमावली- 2019 के अध्याय 3 के कंडिका 9 (क) अन्तर्गत प्रावधान को निम्नरूपेण अंतः स्थापित किया जाता है -

शैक्षणिक योग्यता- महिला पर्यवेक्षिका-

(a) कुल स्वीकृत पद के 75% पद पर नियुक्ति हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मनोविज्ञान या गृह विज्ञान विषयों के साथ महिला स्नातक।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छदित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

परन्तु यह कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी।

4. झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) नियमावली- 2019 के अध्याय 3 के कंडिका 12 अन्तर्गत प्रावधान को निम्नरूपेण अंतःस्थापित किया जाता है -

परीक्षा का स्वरूप:- संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली- 2017 एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली- 2021 के प्रावधानों के आलोक में की जायेगी।

5. झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) नियमावली- 2019 के अध्याय 4 के कंडिका 17 अन्तर्गत प्रावधान को निम्नरूपेण अंतःस्थापित किया जाता है -

संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नवत् होंगे -

महिला पर्यवेक्षिका के लिए

परीक्षा दो पत्रों की ली जायेगी। प्रत्येक पत्र में 100 प्रश्न एवं परीक्षा अवधि 2 घंटा (एक पाली) होगी। दोनो पत्रों में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहु-विकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

(क) प्रश्न पत्र 1 - विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान

इस विषय में अर्हतांक 30% है जो अनिवार्य है, जो उम्मीदवार इस विषय में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे, उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय (सामान्य ज्ञान) प्रश्न पत्र-2 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र 1 में प्राप्त अंक की गणना मेधा सूची के प्रयोजनार्थ की जायेगी। इस विषय में पाठ्यक्रम एवं प्रश्न की संख्या निम्नवत् होंगे:-

- (i) हिन्दी अनुच्छेद (Comprehension) पर आधारित प्रश्न -25 प्रश्न
- (ii) हिन्दी व्याकरण से संबंधित प्रश्न -25 प्रश्न
- (iii) अंग्रेजी अनुच्छेद (Comprehension) पर आधारित प्रश्न -25 प्रश्न
- (iv) अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न-25 प्रश्न

(ख) प्रश्न पत्र 2 - विषय सामान्य ज्ञान

प्रश्न-2- सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत् होगी:-

- (i) सामान्य अध्ययन, समसामयिक विषय, भारत देश एवं राज्य - 50 प्रश्न
- (ii) सामान्य विज्ञान- 30 प्रश्न
- (iii) मानसिक क्षमता जाँच - 20 प्रश्न

6. झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) नियमावली- 2019 की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

7. उक्त पर मंत्रिपरिषद के दिनांक-25.11.2021 की बैठक के मद सं0- 04 में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अविनाश कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव ।
